अध्याय - 3

वित्तीय प्रतिवेदन

प्रासंगिक तथा विश्वसनीय सूचना के साथ ठोस आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग राज्य सरकार द्वारा दक्ष तथा प्रभावी प्रशासन के लिये महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करती है। वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निर्देशों के अनुपालना के साथ-साथ ऐसे अनुपालन की स्थिति पर प्रतिवेदन की गुणवत्ता तथा सामयिकता अच्छे प्रशासन का द्योतक है । अनुपालना तथा नियंत्रणों पर रिपोर्ट, यदि प्रभावी तथा क्रियात्मक हो, राज्य सरकार को उनके बुनियादी उत्तरदायित्व जैसे विशेष उद्देश्य के लिये योजना तैयार करने तथा निर्णय लेने में सहायता करती है । यह अध्याय वर्तमान वर्ष के दौरान दिल्ली सरकार के विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निदेशों का विहंगावलोकन तथा अनुपालना के स्तर को प्रस्तुत करता है ।

3.1 उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब

विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदान लेने वाले सांविधिक निकायों, गैरसरकारी संस्थानों इत्यादि से अनुदानों का उपयोगिता प्रमाणपत्र (उ.प्र.) यह सूचित करते हुये प्राप्त करना आवश्यक है कि अनुदान जिस उद्देश्य के लिये स्वीकृत किये गये थे उसी के लिये उसका उपयोग किया गया है तथा जहां अनुदान शर्तों पर आधारित थे, निर्धारित शर्तें पूरी कर ली गयी हैं । मुख्य वेतन एवं लेखा अधिकारी, दिल्ली सरकार द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार उ.प्र. को जमा करने में अवधि-वार विलम्ब का संक्षिप्त विवरण नीचे **तालिका 3.1** में दिया गया है ।

तालिका 3.1 : उपयोगिता प्रमाणपत्रों की प्रस्तुति में आयु-वार बकाया

(राशि : ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विलम्बित वर्षों की सीमा	कुल दिया गया अनुदान		बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
1.	0-2	427	6490.57	352	2922.13
2.	2-4	360	3044.83	322	3030.61
3.	4-6	1303	2027.37	1303	2027.37
4.	6-8	200	960.34	200	960.34
5.	8-10	200	1874.68	200	1874.68
6.	10 तथा उससे अधिक	2067	3776.49	2067	3776.49
	कुल	**4587**	**18174.28**	**4444**	**14591.62**

उपरोक्त तालिका में यह देखा गया कि ₹ 18174.28 करोड़ के 4587 अनुदान 31 मार्च 2011 तक दिये गये थे । 4587 अनुदानों में से ₹ 14591.62 करोड़ के 4444 उपयोगिता प्रमाणपत्र विभिन्न स्वायत्त इकाईयों से मार्च 2012 के अन्त तक प्रतीक्षित थे । बकाया 4444 उ.प्र. में से ₹ 3776.49 करोड़ के 2067 उ.प्र. (46.51 *प्रतिशत*) 10 वर्षों से अधिक समय तक लम्बित पड़े थे ।

मुख्य चूककर्ता शहरी विकास विभाग था जिसका ₹ 13651.31 करोड़ (93.56 *प्रतिशत*) का बकाया था । इसी के साथ शहरी विकास विभाग से अनुदान प्राप्त करने वाले दिल्ली नगर निगम पूर्व स्थापित दिल्ली विद्युत बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड और नई दिल्ली नगर पालिका मुख्य चूककर्ता थे, जिन्होंने उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा नही करवाए थे । बकाया उ.प्र. की वर्ष वार के साथ-साथ विभाग-वार स्थिति **परिशिष्ट 3.1** में दी गयी है ।

3.2 लेखों की गैर-प्रस्तुति/प्रस्तुति में विलम्ब

नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 14 तथा 15 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा के लिये संस्थानों की पहचान करने के लिये सरकार/विभागाध्यक्ष से अपेक्षित है कि वह प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा को विभिन्न संस्थानों को दी गयी वित्तीय सहायता, सहायता का उद्देश्य और संस्थानों पर कुल खर्च के विषय में विस्तृत सूचना प्रस्तुत करे । इस कार्यालय के लेखापरीक्षा अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले नौ[1] स्वायत्त निकायों में से चार[2] स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के वर्ष 2010-11 तक के वार्षिक लेखे प्राप्त हुए है तथा 2011-12 के दौरान लेखापरीक्षित किये गये ।

बाकी पांच स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के 2010-11 तक के बकाया वार्षिक लेखे

[1] (i) दिल्ली बिल्डिंग एवं अन्य निर्माण वर्कर्स कल्याण बोर्ड, (ii) दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (iii)दिल्ली जल बोर्ड (iv) दिल्ली कल्याण समिति (v) दिल्ली विधि सेवा आयोग (vi) गुरू गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (vii) नेताजी सुभाष तकनीकी संस्थान (viii)इन्द्रप्रस्थ सूचना तकनीकी संस्थान और (ix) दिल्ली शहरीकरण शेल्टर विकास बोर्ड

[2] (i) दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (ii) दिल्ली कल्याण समिति (iii) दिल्ली विधिक सेवा आयोग और (iv) गुरू गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय ।

प्रधान महालेखाकार (ले.प.) दिल्ली कार्यालय में मार्च 2012 तक प्राप्त नहीं हुये थे । इन बकाया लेखाओं का विवरण नीचे **तालिका 3.2** में दिया गया है:

तालिका 3.2 : इकाईयों तथा प्राधिकरणों के नाम को दिखाती विवरणी, जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे

	इकाई/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लिए लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	वर्षों की सं. जिसके लिए लेखे बकाया थे	प्राप्त सहायता (₹ लाख में)
1	दिल्ली बिल्डिंग एवं अन्य निर्माण वर्कर्स कल्याण बोर्ड ,	2002-03 से 2010-11	9	-
2	नेताजी सुभाष तकनीकी संस्थान (ने.स.त.सं.)	2008-09 से 2010-11	3	गैर योजना गत 292.00 योजनागत 650.00
3	दिल्ली जल बोर्ड (दि.ज.बो.)	2006-07 से 2010-11	5	योजनागत 104444.50
4	इन्द्रप्रस्थ सूचना तकनीकी संस्थान	2008-09 से 2010-11	3	योजनागत 1000
5	दिल्ली शहरीकरण शेल्टर विकास बोर्ड	2010-11	1	-
	कुल		21	

इस तालिका से देखा जा सकता है कि पाँच स्वायत्त इकाईयों/प्राधिकरणों के वर्ष 2010-11 तक 21 वार्षिक लेखे प्रस्तुति के लिए बकाया थे । दिल्ली बिल्डिंग तथा अन्य कन्सट्रक्शन वर्कर्स कल्याण बोर्ड के प्रारंभ से (2002-03) नौ वार्षिक लेखे बकाया थे । नेताजी सुभाष तकनीकी संस्थान ने 2008-09 से तीन वार्षिक लेखे प्रस्तुत नहीं किए । जबकि दिल्ली जल बोर्ड को 2006-07 से पाँच लेखे प्रस्तुत करने थे । इसी प्रकार इंद्रप्रस्थ तकनीकी संस्थान तथा दिल्ली शहरी शेल्टर विकास बोर्ड ने अपने प्रारंभ (2008-09 और 2010-11) से क्रमशः तीन और एक लेखे जमा नहीं किए थे ।

3.3 लेखापरीक्षा को लेखों के प्रस्तुत करने में विलम्ब

राज्य सरकार द्वारा बड़ी संख्या में स्थापित की गई स्वायत इकाईयों की भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा उनके लेन-देनों का सत्यापन, परिचालन कार्यकलापों तथा लेखों, सभी लेन-देनों की नियमित अनुपालना लेखापरीक्षा का संचालन, आन्तरिक प्रबन्धन तथा वित्तीय नियंत्रण का पुनरीक्षण, प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं का पुनरीक्षण आदि के संबंध में लेखापरीक्षा की जाती है । लेखापरीक्षा कार्य सौंपने, लेखापरीक्षा को लेखे प्रदान करने की स्थिति **परिशिष्ट 3.2** में दर्शाई गयी है । नि.म.ले.प. को लेखापरीक्षा कार्य सौंपने के बाद लेखापरीक्षा के लिए लेखों को प्रस्तुत करने में विलम्ब

के अनुसार स्वायत्त निकायों के आवृति वितरण **तालिका 3.3** में नीचे संक्षिप्त रूप में दिए गए हैं:

तालिका 3.3 : लेखों के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब

लेखों की प्रस्तुति में विलम्ब (माह में)	स्वायत्त निकायों की संख्या	विलम्ब का कारण
0-1	-	-
1-6	-	-
6-12	-	-
12-18	-	-
18-24	-	-
24 एवं अधिक	5	उ.न.
कुल	**5**	

उ.न=उपलब्ध नहीं

3.4 दुरूपयोग, हानियाँ तथा गबन इत्यादि

31 मार्च 2012 तक लेखापरीक्षा द्वारा ₹ 17.63 लाख मूल्य की चोरी, सामग्री का दुरूपयोग/हानि के उनत्तीस मामलों का पता चला । लम्बित मामलों का विभाग-वार ब्यौरा तथा अवधि-वार विश्लेषण **परिशिष्ट 3.3** में तथा इन मामलों की प्रकृति **परिशिष्ट 3.4** में दर्शायी गई है । लम्बित मामलों की आवधिक रूपरेखा तथा वर्ग-वार चोरी और दुरूपयोग/सामग्री की हानि में लम्बित मामलों की संख्या जिन्हें इन **परिशिष्टों** से लिया गया है **तालिका 3.4** में दर्शायी गई है ।

तालिका 3.4: दुरूपयोग, हानियाँ तथा गबन इत्यादि की रूपरेखा

लम्बित मामलों की अवधि की रूपरेखा			लम्बित मामलों की प्रकृति		
अवधि वर्षों में	मामलों की संख्या	सम्मिलित राशि (₹ लाख में)	मामलों की प्रकृति	मामलों की संख्या	सम्मिलित राशि (₹ लाख में)
0-5	20	17.15	चोरी	12	1.37
5-10	7	0.05			
10-15	1	0.03	दुरूपयोग/सामग्री की हानि	17	16.26
15-20	1	0.40			
कुल	**29**	**17.63**	**कुल बकाया मामले**	**29**	**17.63**

इन उनतीस मामलों में से, नौ मामले अस्पतालों से, छः मामले शिक्षा विभाग से और समाज कल्याण विभाग तथा रा.के.को. में से प्रत्येक के दो मामले हैं ।

3.5 असमायोजित सार आकस्मिक बिल

प्राप्ति तथा भुगतान नियमों के नियम 118 में निर्धारित है कि सार आकस्मिक (ए.सी.) बिलों से आहरित धन को स्टोर के आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम के भुगतान के लिए, उसके लेने की तिथि के एक माह के अन्दर विस्तृत बिलों को प्रस्तुत कर समायोजित किया जाना चाहिए । 31 मार्च 2012 तक कुल ₹ 644.55 करोड़ के सार आकस्मिक बिलों के प्रति केवल ₹ 185.07 करोड़ के प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिल (डी.सी.सी.) प्राप्त हुए थे इस प्रकार ₹ 459.48 करोड़ के डी.सी.सी. बिल शेष बकाया थे । चालू वर्ष 2011-12 के दौरान प्राप्त डी.सी.सी. बिलों की कुल राशि ₹ 241.59 करोड़ थी जिसके विरूद्ध ₹ 57.53 करोड़ के प्रति हस्ताक्षरित (डी.सी.सी.) बिल ही प्राप्त हुए थे । वर्ष-वार विवरण **तालिका 3.5** में नीचे दिया गया है:

तालिका 3.5: सार आकस्मिक बिलों के प्रति विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों के प्रस्तुतिकरण में बकाया

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ए.सी.बिलों की राशि	डीसीसी बिलों की राशि	ए.सी. बिलों की प्रतिशतता के रूप में डी.सी.सी. बिल	बकाया ए.सी.बिल
2007-08 तक	137.80	10.38	7.53	127.42
2008-09	33.20	5.00	15.06	28.20
2009-10	67.16	17.82	26.53	49.34
2010-11	164.80	94.34	57.25	70.46
2011-12	241.59	57.53	23.81	184.06
कुल	**644.55**	**185.07**		**459.48**

विभिन्न विभागों द्वारा डी.सी.सी. बिलों के गैर-प्रस्तुतिकरण के कारण, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निधियों को उन्ही उद्देश्यों हेतु उपयोग किया गया था जिनके लिए उन्हें आहरित किया गया था । इस प्रकार, विस्तृत आकस्मिक बिलों की अनुपस्थिति में निधियों के अस्थायी दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता था । विभाग ने प्रत्युत्तर में बताया कि कुल सार आकस्मिक बिलों में से 25 प्रतिशत बिल विभिन्न अस्पतालों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों में खोले गए साख पत्र (सा.प.) खातों से संबंधित थे तथा अस्पताल प्राधिकारियों ने इन खातों को बंद करने तथा इनके समायोजन बिलों को दिसम्बर 2012 तक लेखा कार्यालय में जमा करने की सलाह दी थी । सार आकस्मिक बिलों के शेष 75 प्रतिशत बिलों के असमायोजन के कारणों को लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया (दिसम्बर 2012)।

3.6 व्यक्तिगत जमा खाते

प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार राज्य की समेकित निधि में डेबिट द्वारा निधि रखने के उद्देश्य के लिए कोई व्यक्तिगत जमा खाता संचालित नहीं किया जा रहा है । यद्यपि महानियंत्रक लेखा (सी.जी.ए.) तथा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन से ग्यारह व्यक्तिगत जमा खाते खोले गए थे, जिनका विवरण नीचे है:

(i) **आवास कमिश्नर,भूमि एवं भवन:** भूमि अधिग्रहण एजेंसी जैसे डी.डी.ए. आदि से प्रतिपूर्ति/बढ़ी हुई प्रतिपूर्ति की लागत प्राप्तियों के रूप में डिपोजिट प्राप्त किया जाता है तथा उन्हें बाद में भूमि अधिग्रहण कलैक्टरों के पक्ष में,भूमि मालिकों को भुगतान हेतु जिनकी भूमि का अधिग्रहण 'भूमि का बड़े स्तर पर अधिग्रहण' स्कीम में किया गया था, जारी कर दिया जाता है ।

(ii) **दिल्ली उच्च न्यायालय:** व्यक्तिगत खाता बही को निधियाँ पेपर बुक मामलों में प्राप्त जांच प्रभार, सुरक्षा प्रभार तथा चुनाव आवेदनों के शुल्कों से प्राप्त डिपॉजिट से प्रदान की जाती हैं ।

(iii) **जिला एवं सत्र न्यायालय:** न्यायालय के आदेशानुसार यह खाता वादकारियों के किराये आदि के डिपोजिट/आहरण के उद्देश्य के लिए संचालित किया जाता है ।

(iv) **जिला न्यायाधीश-II तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, उत्तरी जिला प्रभारी** न्यायालय के आदेशानुसार प्रत्येक प्रकार के डिपोजिट जैसे सिविल डिपोजिट, अपराधी डिपोजिट तथा खाता वादकारियों के किराया आदि के डिपोजिट/आहरण के उद्देश्य के लिए संचालित किया जाता है ।

(v) **जिला न्यायाधीश-III तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पश्चिम जिला प्रभारी** न्यायालय के आदेशानुसार प्रत्येक प्रकार के डिपोजिट जैसे सिविल डिपोजिट, अपराधी डिपोजिट तथा खाता वादकारियों के किराये आदि के डिपोजिट/आहरण के उद्देश्य के लिए संचालित किया जाता है ।

(vi) **जिला न्यायाधीश-IV तथा अतिरिक्त सत्र न्यायधीश नई दिल्ली जिला प्रभारी:** न्यायालय के आदेशानुसार प्रत्येक प्रकार के डिपोजिट जैसे सिविल डिपोजिट, अपराधी डिपोजिट तथा खाता वादकारियों के किराये आदि के डिपोजिट/आहरण के उद्देश्य के लिए संचालित किया जाता है ।

(vii) **जिला न्यायाधीश-V तथा अतिरिक्त सत्र न्यायधीश दक्षिणी जिला प्रभारी:** न्यायालय के आदेशानुसार प्रत्येक प्रकार के डिपोजिट जैसे सिविल डिपोजिट, अपराधी डिपोजिट तथा खाता वादकारियों के किराये आदि के डिपोजिट/आहरण के उद्देश्य के लिए संचालित किया जाता है ।

(viii) **जिला न्यायाधीश-VI तथा अतिरिक्त सत्र न्यायधीश पूर्वी जिला प्रभारीः** न्यायालय के आदेशानुसार प्रत्येक प्रकार के डिपोजिट जैसे सिविल डिपोजिट, अपराधी डिपोजिट तथा खाता वादकारियों के किराये आदि के डिपोजिट/आहरण के उद्देश्य के लिए संचालित किया जाता है ।

(ix) **जिला न्यायाधीश-VII तथा अतिरिक्त सत्र न्यायधीश उत्तर पूर्वी जिला प्रभारीः** न्यायालय के आदेशानुसार प्रत्येक प्रकार के डिपोजिट जैसे सिविल डिपोजिट, अपराधी डिपोजिट तथा खाता वादकारियों के किराये आदि के डिपोजिट/आहरण के उद्देश्य के लिए संचालित किया जाता है ।

(x) **जिला न्यायाधीश-VIII तथा अतिरिक्त सत्र न्यायधीश उत्तर पश्चिम जिला प्रभारीः** न्यायालय के आदेशानुसार प्रत्येक प्रकार के डिपोजिट जैसे सिविल डिपोजिट, अपराधी डिपोजिट तथा खाता वादकारियों के किराये आदि के डिपोजिट/आहरण के उद्देश्य के लिए संचालित किया जाता है ।

(xi) **जिला न्यायाधीश-IX तथा अतिरिक्त सत्र न्यायधीश दक्षिण पश्चिम जिला प्रभारीः** न्यायालय के आदेशानुसार प्रत्येक प्रकार के डिपोजिट जैसे सिविल डिपोजिट, अपराधी डिपोजिट तथा खाता वादकारियों के किराये आदि के डिपोजिट/आहरण के उद्देश्य के लिए संचालित किया जाता है ।

31 मार्च 2012 तक के बकायों के विवरणों को माँगा गया था (नवम्बर 2012) जो कि प्रतीक्षित है ।

3.7 उचंत शेष

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार का कोई पृथक लोक खाता नहीं है तथा लेन-देन संघीय सरकार के लोक खाते के अन्तर्गत किए जाते हैं । ऐसे सभी लेन-देनों को अन्त में नकद रूप में वसूली के भुगतान अथवा बुक समायोजन द्वारा समाशोधित किया जाता है । प्रारम्भ में इन्हें उचंत शीर्षों में दर्ज किया जाता है जिनका कम अन्तरालों में पुनरीक्षण किया जाता हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उचित रूप से आवश्यकता से अधिक समय तक कोई मद असमायोजित न रहे तथा प्रत्येक मामले में लागू नियमों के अनुसार इसका समाशोधन सामान्य प्रकार से हो । यहाँ, इस प्रकार, इन शेषों को तेजी से समाशोधित करने की तथा उन्हें उचित लेखा शीर्षों में वर्गीकरण करने की आवश्यकता है ।

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा तैयार किए गए लोक लेखा (केन्द्रीय) में ऐसे लेन-देनों की

जांच से पता चला कि पिछले पांच वर्षों के दौरान 'उचंत शीर्षों' के अन्तर्गत बड़े शेष बकाया थे ।

जिन्हें **तालिका 3.6** में दर्शाया गया है:

तालिका 3.6: उचंत शीर्षों के अन्तर्गत राशि

(₹ करोड़ में)

मार्च के अन्त में	निवल राशि
2012	*डेबिट 215.62
2011	डेबिट 158.81
2010	डेबिट 101.02
2009	डेबिट 631.52
2008	डेबिट 19.68

***31मार्च 2012 को विभिन्न उचंत शीर्षों के अन्तर्गत शेषों का विवरण नीचे दिया गया है ।**

(₹ करोड़ में)

वेतन एवं लेखा कार्यालय उचंत खाता	डेबिट 66.71
नकद परिशोधन उचंत लेखा (न.प.उ.ले.)	डेबिट 160.27
भविष्य निधि उचंत लेखा	डेबिट 0.09
सार्वजनिक क्षेत्र बैंक उचंत लेखा	डेबिट 18.07
सामग्री क्रय उचंत लेखा (सा.क्र.उ.ले.)	क्रेडिट 29.42
उचंत लेखा (नागरिक)	क्रेडिट 0.10
कुल	**डेबिट 215.62**

प्रधान लेखा कार्यालय ने कहा कि 'नकद परिशोधन उचंत लेखों' (न.प.उ.ले.) शीर्ष के अन्तर्गत बकाया राशि का मुख्य भाग पी.ए.ओ. (एनएस) सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मन्त्रालय (एमओआरटीएच), भारत सरकार तथा गृह मंत्रालय के अन्तर्गत दिल्ली पुलिस से संबंधित है तथा सामग्री क्रय उचंत लेखा (सा.क्र.उ.ले.) एवं न.प.उ.ले. के अन्तर्गत बकाया शेषों के परिशोधन के लिए रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के.लो.नि.वि. के मुख्य अभियन्ता के साथ मामला उठाया गया । इससे आगे कहा कि सभी पी.ए.ओ. को बकाया बाह्य दावों की प्रतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही के अनुदेश दिए गए थे और सार्वजनिक क्षेत्र बैंक के उचंत लेखों में डेविट शेष इसलिए विधमान है क्योंकि जनवरी 2009 में स्टेट बैंक ने कोर बैंकिग प्रणाली का आरंभ किया था । इसके अतिरिक्त, शेषों के परिसमापन के मामलों को संबंधित प्राधिकारी के समक्ष उठाया गया था ।

3.8 निष्कर्ष एवं सिफारिशें

₹ 14591.62 करोड़ की सहायता अनुदान के लिए विभिन्न सहायता प्राप्त संस्थाओं द्वारा बड़े पैमाने पर उपयोगिता प्रमाणपत्रों को भेजना बकाया था । 4444 बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों में से ₹ 3776.49 करोड़ राशि के 2067 उपयोगिता प्रमाण पत्र (46.51 *प्रतिशत*) 10 वर्षों से अधिक से बकाया थे । सात स्वायत्त निकायों में से 2010-11 तक बकाया तीन स्वायत्त निकायों के वार्षिक लेखे मार्च 2012 तक प्राप्त नहीं हुए थे ।

राज्य सरकार के विभागों ने दुरूपयोग, हानि, चोरी, गबन इत्यादि के 29 मामलों की सूचना दी थी जिसमें मार्च 2012 तक ₹ 17.64 लाख की सार्वजनिक राशि सम्मिलित थी । इन मामलों में अन्तिम कार्रवाई शेष थी ।

विभागाध्यक्षों को उपयोगिता प्रमाणपत्रों तथा स्वायत्त निकायों द्वारा वार्षिक लेखों की तीव्र प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करना चाहिए । सरकार/विभागाध्यक्षों को दुरूपयोग चोरी, हानि आदि के बकाया मामलों में वसूली, कुल हानि आदि के संबंध में आदेशों को शीघ्र सम्पादित करना चाहिए तथा बकाया मामलों में तीव्र जांच-पड़ताल के लिए कार्रवाई प्रारम्भ करनी चाहिए ।

नई दिल्ली
दिनांक :

(डौली चक्रबर्ती)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक :

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक